मध्यप्रदेश शासन

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र देने के लिये र्मागदर्शी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया–2007

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र देने के लिये र्मागदर्शी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया–2007

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र देने के लिये
र्मागदर्शी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया–2007

प्रस्तावना

1. **नाम.–** धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने एवं अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया–2007.

2. **क्षेत्र.–** संस्थान मध्यप्रदेश में स्थित है.

3. **संस्था.–** संस्था का तात्पर्य मध्यप्रदेश फर्म संस्था अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत धार्मिक/ भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित अशासकीय/स्वैच्छिक संगठन द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था. संबंधित प्रमाणीकरण संस्था ;ब्मतजपलिपदह ।हमदबलद्ध जैसेः– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ;।ण्ण्ब्ज्म्ण्द्ध द्वारा मान्यता प्राप्त तथा विश्वविद्यालय/मण्डल से नियम अनुसार संबद्धता ;।ििपसपंजपवदद्ध प्राप्त हो.

4. **प्राधिकृत अधिकारी.–** अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की मान्यता/प्रमाण–पत्र देने के लिये राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

5. **प्रबंधकारिणी.–** प्रबंधकारिणी से तात्पर्य संस्था की प्रबंधकारिणी.

6. **अल्पसंख्यक.–** म.प्र. शासन द्वारा घोषित धार्मिक/ भाषायी अल्पसंख्यक. भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिये परिभाषित भाषायी अल्पसंख्यक.

प्रक्रिया

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्राप्त करने के लिये संस्था को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन (प्रपत्र संलग्न) संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, सतपुड़ा भवन, भोपाल को करना होगा. निर्धारित प्रपत्र संलग्न है.) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करने होंगे.

(अ) पंजीयक फर्म एवं संस्था का पंजीयन
(ब) नियमावली
(स) आवेदन से पूर्व तीन वर्ष का आडिट किये गये लेखे एवं वार्षिक रिपोर्ट
(द) भर्ती नियम–शैक्षकीय/गैर शैक्षकीय भर्ती नियम जो लागू हो

(इ) संस्था की चल–अचल संपत्ति की सूची एवं उसका प्रमाणित मूल्यांकन पत्रक, संस्था में चल रहे पाठ्यक्रमों कि सूची शिक्षकीय/गैर–शिक्षकीय अमले की शैक्षणिक योग्यता, पद उसके वेतन तथा अन्य विवरण. मान्यता प्राप्त करने वाले संस्थान जैसेः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ;।ण्ब्ज्म्द्ध इत्यादि का प्रमाण–पत्र तथा संबद्धता ;।ffपसपंजपवदद्ध देने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड का प्रमाण पत्र.

(फ) राज्य शासन द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क

(च) शपथ–पत्र (संलग्न,निर्धारित प्रपत्र में).

संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, म.प्र. प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी रहेंगे. संस्थायें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था संबंधी मान्यता के लिये आवेदन संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, अपर बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) को प्रस्तुत करें एवं वहीं से मान्यता प्रमाणित की जाये. संचालक प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व संस्थान के परिसर का निरीक्षण जिला कलेक्टर के माध्यम से 1 माह में प्राप्त करेगा.

मान्यता आवेदन–पत्र अमान्य करने की स्थिति में संस्था/समिति द्वारा अपील प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को की जा सकती है.

मान्यता /पंजीयन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संधारित मान्यता पंजी में दर्ज कर एक वर्ष के लिये अस्थाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था प्रमाण पत्र/मान्यता जारी करेंगे. संचालक प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की जांच अपने स्तर से करेंगे एवं सही पाये जाने पर मान्यता प्रदान करेंगे.

तीन वर्ष बाद निर्धारित छवतउे की पूर्ति एवं निरन्तरता की पुष्टि के लिये संस्था का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्राप्त कर स्थायी प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा. तीन वर्ष बाद निरीक्षण में संस्था द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के लिये निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं करने या कमी पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मान्यता निरस्त कर दी जायेगी.

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये पात्रता एवं शर्तें

1. अल्पसंख्यक के आधार धर्म एवं भाषा अर्थात धार्मिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यक दोनों हो सकते हैं, तदनुसार म.प्र. शासन द्वारा घोषित धार्मिक अल्पसंख्यक एवं मध्यप्रदेश के लिये परिभाषित भाषाई अल्पसंख्यक (भारत शासन द्वारा घोषित) को पात्रता होगी.

2. जिस समुदाय के धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम हो, अल्पसंख्यक माना जावेगा.

3. जो एजेन्सी शैक्षणिक संस्था का प्रबंधन कर रही है, उसका संवैधानिक स्वरूप होना अनिवार्य है. उदाहरणातः–फर्म एवं समिति पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिये.

4. अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक सीमित नहीं होगा.

5. शैक्षणिक संस्था के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये नियम रहेंगे जिसमें संस्था संबंधित संचालनालय/मण्डल/विश्वविद्यालय से सम्बद्धीकरण आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा. शिक्षकों की सेवा शर्तें तथा योग्यता निर्धारित करते समय संस्था द्वारा सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखा जायेगा.

6. संस्था द्वारा यह भी अनिवार्य रूप से पालन किया जावेगा कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही संस्था होने का ;च्तपअपसमहमद्ध दुरुपयोग किसी व्यक्ति या संस्था के लिये नहीं करेंगे.

7. संस्था के शिक्षकीय एवं गैर शैक्षकीय अमले के लिये अनुशासन, नियम बनाते समय प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखा जाये. संस्था के उत्कृष्ट प्रशासन का ध्यान रखा जाये. शैक्षणिक संस्थाओं के लिये जो अन्य सामान्य नियम है वह भी लागू होंगे.

8. भर्ती हेतु चयन हेतु प्रक्रिया में विश्वविद्यालय/मण्डल के नियम तथा राज्य शासन के निर्देश लागू होंगे. संस्था संचालन के लिये योग्य शिक्षकों एवं अन्य अमले हेतु उम्मीदवारों को भर्ती करने की स्वतंत्रता रहेगी, परन्तु सलाह दी जाती है कि शिक्षकों तथा अन्य अमलों के चयन खुली ;व्चमदद्ध विज्ञप्ति से एवं पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाये.

9. संस्था के शिक्षक एवं अन्य अमला अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, विश्वविद्यालय के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हता के ही रखें जायें तथा योग्यता में शिथिलता नहीं की जायेगी.

10. वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थायें जो राज्य शासन से अनुदान प्राप्त कर रही हैं, यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थायें, गैर अल्पसंख्यकों को धर्म जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर प्रवेश के लिये मना नहीं कर सकेंगे.

11. किसी विद्यार्थी को बिना उनके अभिभावकों की पूर्व लिखित सहमति के किसी विशेष धार्मिक प्रवचन/पूजा के लिये बाध्य नहीं करेंगे.

12. अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जा सकेगी परन्तु इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम बाध्यकारी होंगे.

13. संस्था की प्रबंधकारिणी में अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य रहेंगे, यह सुनिश्चित किया जावे साथ ही संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम भी लागू होंगे.

14. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में से पूर्णतः धार्मिक निर्देश या शिक्षा दे रही संस्था को इससे बाहर रखा गया है अतः ऐसी संस्थाओं के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा.

15. किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय/मंडल से सम्बद्धीकरण के लिये प्रवेश में वरीयता का आधार, शिक्षा की उत्कृष्टता, प्रवेश की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रणाली, आवश्यक भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक गुणवत्ता आदि की पूर्ति का ध्यान रखा जाना होगा.

16. गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को इस विषय में राज्य शासन द्वारा जारी नीति तथा निर्देशों के अंतर्गत रहते हुये शिक्षण शुल्क लेने की स्वतंत्रता होगी परन्तु अनुचित लाभ अर्जन नहीं किया जा सकेगा. ''केपीटेशन फीस'' लिये जाने की अनुमति नहीं होगी. इस संबंध में विभिन्न याचिकाओं में मान. उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/ निर्देश लागू होंगे.

17. संस्था को उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा.

विभाग के लिये निर्देश :—

1. प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित जिला कलेक्टर को भेजकर आवश्यक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन सहित अनुशंसा प्राप्त की जायेगी.

2. यदि किसी संस्था का अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित करने का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है, तो उसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्ती का कारण स्पष्ट रूप से संबंधित संस्था को सूचित किया जायेगा. निरस्तीकरण आदेश की प्रति संबंधित जिला कलेक्टर, संबंधित विश्वविद्यालय／मंडल तथा प्रमाणीकरण प्राधिकारी／संस्था ;ब्मतजपपिलपदह ।नजीवतपजलद्ध को भी दिया जावेगा.

3. ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं जिसमें पूर्णतः धार्मिक निर्देश या शिक्षा दिये जाते हैं, को इससे बाहर रखा गया है. अतः ऐसी संस्थाओं के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा.

4. मान्यता एवं प्रमाण—पत्र के आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की अधिकतम अवधि 60 दिन होगी. विभाग／जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने में विलम्ब की जानकारी संबंधित संस्था को कारण सहित सूचित की जावेगी.

5. गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशासकीय नियंत्रण कम से कम रखा जायेगा, जो आवश्यकतायें विश्वविद्यालय या बोर्ड (मण्डल) से सम्बद्धीकरण के लिये आवश्यक है, वे रखी जाये. दैनन्दिनी प्रबंधन में जैसे— शिक्षकीय, गैर—शिक्षकीय एवं अन्य अमले की नियुक्ति एवं उनके ऊपर प्रशासकीय नियंत्रण, प्रबंधन को इसकी स्वतंत्रता रहेगी. अपितु भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया तथा शिक्षकों एवं अन्य अमले के चयन में पारदर्शी पद्धति को अपनाना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये नियम बनाने की जवाबदारी संस्था की होगी.

6. अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिये संबंधित प्रशासकीय विभाग के नियम लागू होंगे.

7. संस्थाओं को शैक्षणिक परिवेश की उत्कृष्टता, पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि के लिये संबंधित विश्वविद्यालय या बोर्ड (मण्डल) एवं प्रशासकीय विभाग के निर्देश／नियमों का पालन किया जाना होगा.

8. किसी भी स्थिति में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने का अनुचित लाभ उठाने की छूट नहीं होगी.

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण—पत्र देने के लिये उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 7—51／89—च्छ;क प्प्द्ध दिनांक 5—10—1989 के द्वारा जारी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के संबंध में नीति एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त के आधार पर बनाये गये हैं.